न्यायालय, उप समाहर्ता, भूमि सुधार, सदर मेदिनीनगर।

दाखिल–खारीज अपील वाद संख्या– $\frac{XV}{01}$ / 2015–16

संजय यादव – अपीलार्थी

बनाम

नागेंद्र यादव – विपक्षी

आदेश

20/3/2017. यह अभिलेख विद्वान अपर समाहर्ता, पलामू के ज्ञापांक 511, दिनांक 20.07.2016 से दाखिल खारीज रीवीजन वद संख्या– $\frac{XV}{37}$/2015-16 में उनके द्वारा दिनांक 25.04.2016को पारित आदेश की प्रति के साथ रिमांड होकर प्राप्त हुआ है। उक्त आदेश के द्वारा मेरे न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2016 का पारित आदेश निरस्त कर दिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत सभी साक्ष्यों पर विचार करने तथा प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा के बिंदु पर जांच कर आश्वस्त होने के पश्चात् नये सिरे से आदेश पारित करने हतु निदेश दिया गया है। निदेशानुसार दोनों पक्षों को सूचना निर्गत की गयी। सुनवाई के दौरान प्रश्नगत भूमि की स्थलीय जांच हेतु तिथि निर्धारित की गयी तथा दिनांक 17.01.2017 को मेरे द्वारा स्थलीय जांच की गयी।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख के साथ दोनों पक्षों द्वारा दाखिल कागजात का अवलोकन किया।

अपीलार्थी द्वारा किया गया दावा का सारांश यह है कि प्रश्नगत भूमि विगत सर्वे खतियान में चमरू महतो के नाम से दर्ज है। अपीलार्थी ने चमरू महतो का वंशावली देते हुए दावा किया है कि अपीलार्थी एवं मुनेश्वर महतो चमरू महतो के उतराधिकारी एवं सह–हिस्सेदार है। मुनेश्वर महतो अपीलार्थी के चाचा है। अपीलार्थी ने निबंधित केवाला संख्या– 6229/6104, दिनांक 06.06.2011 के द्वारा खाता न0– 20, प्लॉट न0–571 में रकबा–0.03 1/4 एकड़ भूमि क्रय की है, जिसपर अपीलार्थी का आवासीय मकान एवं बारी है, जबकि विपक्षी का आवासीय मकान अपीलार्थी के मकान से 250 फीट की दूरी पर अन्य प्लॉट में है। विपक्षी के विक्रेता कौशल्या एवं फुलमती देवी का

प्रश्नगत खाता/प्लॉट में कोई हक–हिस्सा या दखल–कब्जा नहीं है, जबकि विपक्षी ने उनसे अपीलार्थी की दखल–कब्जे वाली भूमि का फर्जी केवाला करा लिया है। विपक्षी के विक्रेता क्रमशः लातेहार एवं रेड़मा हवाई अडडा के निवासी है। अपीलार्थी का दावा है कि अंचल अधिकारी, सदर, मेदिनीनगर द्वारा बिना स्थलीय जांच के ही विपक्षी के नाम से दाखिल–खारीज स्वीकृत किया गया है। अपीलार्थी का दावा है कि इस वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2016 का पारित आदेश उचित एवं सही है, जिसे बहाल रखना अपेक्षित है।

विपक्षी ने खतियानी रैयत चमरू महतो का वंशावली दिया है जिसके अनुसार चमरू महतो के तीन पुत्र जगत, जगन एवं बुधन महतो हुए। अपीलार्थी जगन महतो का पोता है, जबकि विपक्षी बुधन महतो का पोता है। जगन महतो का पुत्र यदु महतो के तीन पुत्र तुलसी यादव, युगेश्वर यादव एवं मुनेश्वर यादव हुए जो पिता की मृत्यु के बाद भूमि के दखल–कब्जा में आए। विपक्षी का दावा है कि विपक्षी ने युगेश्वर यादव की पत्नी कौशल्या कुअंर एवं पुतोहू फुलमती देवी से उनके दखल–कब्जे वाली रकबा– 0.03 1/4 एकड़ भूमि निबंधित केवाला संख्या–4729, दिनांक 08.06.2013 के द्वारा क्रय किया है, तब से शांतिपूर्ण दखल–कब्जा में चले आ रहे है। विपक्षी का दावा है कि अंचल अधिकारी द्वारा स्थलीय जांच कराने के बाद नियमों का पालन करते हुए दाखिल–खारीज आदेश पारित किया गया है, जिसे इस न्यायालय द्वारा बिना विचार किये ही दिनांक 18.02.2016 को निरस्त कर दिया गया था, जिसे विद्वान अपर समाहर्ता, पलामू द्वारा दाखिल–खारीज रीवीजन वाद संख्या–$\frac{XV}{37}$/2015-16 से दिनांक 25.04.2016 को निरस्त करते हुए नये सिरे से दखल–कब्जा के बिंदु पर आश्वस्त होकर आदेश पारित करने का निदेश दिया है। विपक्षी का दावा है कि दिनांक 17.01.2017 को स्थलीय निरीक्षण में ग्रामीणों ने विपक्षी की दखल–कब्जा की पुष्टि की है। विपक्षी ने अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–1034/2014–15 में दिनांक 25.03.2015 का पारित आदेश को बहाल रखने तथा अपीलार्थी का अपील–आवेदन अस्वीकृत करने का निवेदन किया है।

अभिलेख के साथ संलगन दाखिल–खारीज वाद संख्या–1034/2014–15 में पारित आदेश एवं हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अमीन का जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा पाया गया, जिसके आधार पर विपक्षी के नाम से दाखिल–खारीज किया गया है। दखल–कब्जा के बिंदु पर आश्वस्त होने के लिए मैंने स्वयं दिनांक 17.01.2017 को प्रश्नगत भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। उपस्थित ग्रामीणों ने विपक्षी के दखल–कब्जा की पुष्टि की है। स्थलीय जांच के पश्चात् मैं आश्वस्त हूं कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षी का दखल–कब्जा है। दाखिल–खारीज के लिए महत्वपूर्ण बिंदु दखल–कब्जा ही है। स्पष्ट है अंचल अधिकारी द्वारा दिनांक 25.03.2015 का विपक्षी के नाम से पारित दाखिल–खारीज आदेश सही एवं उचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी का दावा वस्तुतः विपक्षी का केवाला फर्जी होने का है, जिसपर निर्णय लेने का क्षेत्राधिकार मेरे न्यायालय का नहीं है। अपर समाहर्ता, पलामू द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में स्थलीय जांच एवं कागजात पर विचार करने के बाद अंचल अधिकारी, सदर, मेदिनीनगर द्वारा दाखिल–खारीज वाद संख्या–1034/2014–15 में दिनांक 25.03.2015 का पारित आदेश बहाल रखा जाता है। अपीलार्थी का अपील–आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

20.03.17

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।

20.03.17

उप समाहर्ता, भूमि सुधार,
सदर, मेदिनीनगर।